संख्या : सी.एम.150 आर(1)/छ-पु-5-521/95

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊः दिनॉक:27 मार्च, 1995

विषय: आग्नेयास्त्र लाइसेंस के आवेदकों से राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम में सहयोग प्राप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि जब कोई आवेदक शस्त्र का लाइसेंस लेना चाहता है तो आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेंस देने से पूर्व राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम में आवेदक से सहयोग प्राप्त किया जाता है यद्यपि इस प्रकार की बाध्यता शासन से नहीं लगायी गयी है और न ही आयुध अधिनियम एवं नियमावली में ही ऐसी किसी बाध्यता का प्रावधान है।

2- जहॉ एक ओर शासन के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय बचत कार्यक्रमों में अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है पर वहीं समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग से राष्ट्रीय बचत कार्यक्रमों में ऐसे सहयोग की अपेक्षा करना जनहित की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है।

3- अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहना है कि कृपया आग्नेयास्त्रों के नये लाइसेंसों की स्वीकृति में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम में सहयोग की अनिवार्यता न रखी जाय।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
विशेष सचिव।